14 e -TDS रिटर्न तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें

Preparation of e-TDS Return

- आयकर की धारा 203(3) तथा 206(3) के तहत दिनांक 1 अप्रेल 2005 से जो व्यक्ति टैक्स काट/वसूल (TDS/TCS) रहा है, उसे प्रत्येक तिमाही रिटर्न (काटे गये कर का विवरण) फार्म नंबर 24Q मे बनाकर जमा करना आवश्यक है।
- धारा 206(2) के तहत सरकारी कार्यालयों एवं कम्पनियों के लिए TDS/TCS रिटर्न कम्प्यूटर मीडिया में बनाकर साफ व वायरस मुक्त डाटा के प्रमाण पत्र के साथ दाखिल करना अनिवार्य है।
- TDS/TCS रिटर्न तैयार करने हेतु साफ्टवेयर – आयकर विभाग की वेबसाईट www.incometaxindia.gov.in या www.tin-nsdl.com से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।
- एक कम्प्यूटर मीडिया (CD/FLOPPY) में केवल एक रिटर्न होना चाहिए। अर्थात् यदि आप कर्मचारियों का व ठेकेदार दोनो का आयकर काट रहें हो तो, दोनो की जानकारी अलग–अलग कम्प्यूटर मीडिया CD/FLOPPY मे बनाये।
- कम्पयूटर मीडिया में दिए गएं CD/FLOPPY रिटर्न में यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो कर निर्धारण अधिकारी, DDO को सुधार करने के लिए कम से कम 15 दिनों के समय के साथ, सूचित करेगा। 15 दिन या निर्धारित अवधि में यदि गलती नही सुधारी जाती, तो रिटर्न अवैध माना जायेगा।
- धारा 203 के अनुसार, TDS सर्टिफिकेट (फार्म–16) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 2 माह के पश्चात अर्थात् वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए 30 मई 2014 तक जारी करना आवश्यक है। कटौती किये गये टैक्स की जानकारी वित्तीय वर्ष 2014–15 में इन्कम टैक्स विभाग को DDO द्वारा CD मे त्रैमासिक की जावेगी। फिर इन्कम टेक्स विभाग वर्ष के अंत में, करदाता के खातें में (PAN) में जमा की गई, आयकर की राशि की जानकारी का विवरण, करदाता को उपलब्ध कराएगा, जिसके आधार पर भी करदाता रिटर्न दाखिल कर सकेगा। यह सुविधा वित्तीय वर्ष 2014–15से प्रारंभ हो सकती है।
- DDO अपना टैन नंबर सही स्पष्ट रूप से अंकित करे। जिन DDO को अभी तक नया टैन नंबर सही मिल है या यदि उनके पास पुराना टैन नंबर हो तो, उन्हे 94 रू. आवेदन शुल्क के साथ Tin Facilitition Centre में फार्म 49 बी में आवेदन करना अनिवार्य है। Tin Facilitition Centre का पता आयकर विभाग की वेबसाईट में उपलब्ध है।
- कर का भुगतान निर्धारित बैंक में, चालान नंबर 281 में – स्वयं का नाम, पता व टैन नंबर स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए करें।
- अलग –अलग प्रकार के TDS के लिए अलग – अलग चालान का उपयोग करें, अर्थात् कर्मचारियों व ठेकेदार की कर कटौती के लिए अलग–अलग चालान का उपयोग करें।
- बैंक में कर भुगतान के बाद प्राप्त पावती में CIN नंबर होना चाहिए, यह Challan Identification Number Bank द्वारा दिया जाता है। CIN नंबर की जांच आयकर विभाग की वेबसाईट से भी की जा सकती है।
- सभी करदाताओं का पैन नंबर सही स्पष्ट रूप से अंकित करें, गलत पैन नंबर होने पर रिटर्न दाखिल नही किया जा सकेगा।
- आयकर विभाग की वेबसाईट से साफ्टवेयर निःशुल्क डाऊनलोड कर, उसमें आवश्यक प्रविष्ठियां करने के बाद, File Valuation Utility के माध्यम से प्रविष्टयों की जांच करें, यदि आपकी प्रविष्ठियां सही होगी तो, File Valuation Utility तक एक नई फाईल बनायेगा, जिसका नाम XXX24Q.FVU होगा।
- इस फाईल को CD/FLOPPY में कापी कर, टैंन नंबर, कर निर्धारण वर्ष एवं Quarter का लेबर लगाकर, फार्म 27ए, जो कि सॉफ्टवेयर से स्वयं बनता है, के साथ Tin Facilitition Centre में जमा करें।
- TDS/TCS रिटर्न के साथ में किसी भी प्रकार के बैंक चालान, या TDS सर्टिफिकेट की प्रतियां नही लगाना होता।
- भुगतान की गई राशि व TDS राशि एक समान होनी चाहिए, जो कि फार्म नंबर 27 के आईटम नंबर 4 में होती है।
- ऐसे कर्मचारियों की जानकारी नही देनी चाहिए, जिनका TDS नही काटा गया है, या वे आयकर की सीमा में नही आतें हैं।

e-TDS रिटर्न की सी.डी. तैयार करने की सुविधा आशीष डाटामेटिक्स में उपलब्ध है, नागपुर – 207, NIT काम्प्लेक्स, व्हेरायटी चौक, सीताबर्डी, फोन 9373100088

1
Wednesday, August 31, 2016 7:53:31 PM